पत्रांक :–2896 /सा0 दिनांकः– 29.12.17

(90)

नगर निगम कार्यालय, मुंगेर

आम सूचना

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि मुंगेर राज घाट फेरी सेवा की बन्दोबस्ती खुली डाक द्वारा वर्ष 2018 के दिनांक 01/02/2018 से 31/01/2019 तक के लिए निम्नांकित सुरक्षित जमा राशि पर निर्धारित तिथि (क) को अपराह्न 12:30 बजे नगर निगम कार्यालय के सभा भवन में होगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती नहीं होने पर अंकित अनुवर्ती तिथि (ख) एवं (ग) को उपर्युक्त निर्धारित समय एवं स्थान पर बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। प्रश्नगत फेरी की सीमा विस्तार गंगा नदी के दक्षिण किनारे पूरब में लाल दरवाजा से मिर्जापुर बरदह भाया बाकरपुर तथा पश्चिम में लालदरवाजा से शिवकुंड भाया सोझी घाट लल्लू पोखर तथा गंगा नदी के उत्तर किनारे मल्हीपुर से मानसी भाया खगड़िया एवं पश्चिम में मल्हीपुर समस्तीपुर तक है।

क्रमांक	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	डाक की तिथि	जमानत की राशि
01	मुंगेर राज घाट फेरी सेवा	16,17,832=00 सोलह लाख सत्तरह हजार आठ सौ बत्तीस रू0 मात्र (प्रतिवर्ष की दर से)	(क)16/01/2018. (ख)18/01/2018. (ग) 20/01/2018 (अपराह्न12:30बजे)	4,04,458=00 (चार लाख चार हजार चार सौ अन्ठावन)रू0

नोटः– बन्दोबस्ती हेतु विशेष शर्त्तों की जानकारी नगर निगम कार्यालय, मुंगेर के सूचना पट पर प्रकाशित विवरणी से प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी संबंधी शर्त्तेः–

1. उपर्युक्त घाट बन्दोबस्ती के लिए आयोजित डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को नगर आयुक्त,नगर निगम मुंगेर को स्वीकार्य अपनी वित्तीय स्थिति तथा बकाया रहित होने का प्रमाण–पत्र नगर निगम, मुंगेर में देना होगा।
2. बन्दोबस्ती के समय उन्हें दो जहाज प्रस्तुत करने होगें, जिन्हें स्टीम भेसेल्स, बिहार के मुख्य सर्वेक्षण पदाधिकारी द्वारा प्रथम श्रेणी के रूप में अनुमान्य किया गया है, उसकी पुष्टि में अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण–पत्र एवं बिहार के निबंधन पत्र डाक के समय उपस्थापित करना होगा। उन दो जहाज में कम–से–कम 300 (तीन सौ) तथा दूसरा जहाज में कम–से–कम 1000 (एक हजार) यात्रियों को एक बार में ढोने की क्षमता होनी चाहिए। एक जहाज में यथा नियम काम लिया जाएगा तथा दूसरे जहाज आपातकाल तथा खराब एवं क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपयोग के लिए सुरक्षित रहेगा।
3. डाक के दो दिन पूर्व से दो जहाज अद्यतन सर्वेक्षण प्रमाण–पत्र के साथ घाट पर उपलब्ध रखना होगा। जो जहाज डाक के समय उपलब्ध रहेगी, उसी के विरूद्ध डाक बोली जा सकेगी और वही जहाज बन्दोबस्ती के पश्चात चलाना होगा। चलाये जहाज को आवश्यकतानुसार बाहर भेजे जाने एवं उस जहाज के बदले दूसरे जहाज को चलाने के लिए अद्योहस्ताक्षरी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. डाक वक्ता को शपथ पत्र दाखिल करना होगा कि जो जहाज परिचालन हेतु उपलब्ध कराया जा रहा है, वह किसी अन्य घाट (फेरी) के लिए तो पूर्व से निर्धारित नही है।
5. 01 फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2019 तक के लिए जहाज घाट की बन्दोबस्ती की जायेगी। नगर आयुक्त द्वारा स्वीकृत डाक की राशि घाट की सुरक्षित जमा राशि होगी। पट्टेदार को 01 फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2019 तक की अवधि तक प्रतिदिन घाट में जहाज चलाना होगा। नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे यथेष्ट कारण का उल्लेख करते हुए उच्चतम डाक वक्ता के साथ की गई बन्दोबस्ती को रद्द कर दें, अथवा फेरी को नीलाम से बिल्कुल ही मुक्त कर दें।
6. डाक प्रारम्भ होने के पूर्व एक जहाज की प्रस्तुति तथा उनके कागजातों की समीक्षा के बाद डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि मो0–16,17,832=00 (सोलह लाख सत्तरह हजार आठ सौ बत्तीस) रूपये का चौथाई भाग मो0– 4,04,458=00 (चार लाख चार हजार चार सौ अन्ठावन) रूपये जमानत के रूप में नगर निगम, मुंगेर कोष में जमा करना होगा। यह राशि केवल उच्चतम वक्ता को छोड़कर अन्य वक्ताओं को डाक समाप्त होने के पश्चात वापस कर दी जाएगी। उच्चतम डाक वक्ता द्वारा जमा की गई राशि जमानत की राशि का समायोजन अन्तिम किश्त की राशि के साथ की जायेंगी। वर्ष के निर्धारित माहों (कुल बारह माह) के डाक की राशि एक मुश्त में जमा करना होगा। पट्टेदार को नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित तिथि को बंगाल फेरी एक्ट अधिनियम 1855 के नियम 9 के अनुसार एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा नही करने पर उनके द्वारा जमा की गई कुल राशि जब्त कर ली जायेगी या एकरारनामा स्टाम्प फीस की राशि की वसूली नीलाम पत्र वाद द्वारा की जायेगी।